श्री सी० बी० यादव, AAG हाईकोर्ट इलाहाबाद

सर्वोच्च प्राथमिकता/कोर्टकेस

संख्या–रिट–204/1–2–2012–रा0–2

प्रेषक,

किशन सिंह अटोरिया,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1–आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद उ0प्र0,
लखनऊ।

2–मण्डलायुक्त,
मेरठ।

3–जिलाधिकारी,
हापुड़/गौतमबुद्ध नगर/गाजियाबाद/मेरठ।

राजस्व अनुभाग–2

लखनऊ:दिनांक 12 अगस्त, 2012

विषयः– रिट याचिका संख्या–33751/2012 अनिल कुमार बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय/आदेश दिनांक 17–07–2012 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन को सम्बोधित तथा मुख्य सचिव, उ0प्र0शासन एवं अध्यक्ष राजस्व परिषद एवं आपको पृष्ठॉकित श्री सी0 बी0 यादव, अपर महाधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र संख्या–मेमो/एएजी/पीएस/2012, दिनांक 9 अगस्त, 2012 के संदर्भ में अवगत कराना है कि समय–समय पर मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णयो के परिपेक्ष्य में शासनादेश संख्या–384/ 1–2–2011–रा–2 दिनांक 23 मार्च, 2011, शासनादेश संख्या–213/ 1–2–2012–रा0–2 दिनांक 03 अप्रैल, 2012 शासनादेश संख्या– रिट –186/1–2–2012–रा–2 दिनांक 17 अप्रैल, 2012 तथा शासनादेश संख्या–रिट–26/1–2–2012–रा–2 दिनांक 17 मई, 2012 द्वारा सार्वजनिक भूमि चकरोड, नाली, तालाबा/पोखरों एवं भूलेख नियमावली में उल्लिखित श्रेणी–6(3) तथा अन्य जनोपयोगी भूमियों पर से अवैध कब्जा हटाने के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये है। इसी परिपेक्ष्य में रिट याचिका संख्या–33751/2012 अनिल कुमार बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय/आदेश दिनांक 17–07–2012 में अतिक्रमण के विषय में स्पष्ट एवं कड़े निर्देश दिये है कि ऐसे अतिक्रमणों को तत्काल हटाया जाए तथा राजस्व अभिलेखों के दुरस्तीकरण एवं किये गये त्रृटिपूर्ण अंकन के लिए सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध यथोचित कार्यवाही की जाए।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17–7–2012 को संज्ञान में लेते हुए अनुरोध है कि सम्बन्धित को यथोचित निर्देश देते हुए उपरोक्तानुसार मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए कृत कार्यवाही से मा0 उच्च न्यायायल एवं राजस्व परिषद के माध्यम से शासन को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(किशन सिंह अटोरिया)
प्रमुख सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि श्री सी0 बी0 यादव, अपर महाधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र संख्या–मेमो/एएजी/पीएस/2012, दिनांक 9 अगस्त, 2012 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(किशन सिंह अटोरिया)
प्रमुख सचिव।